बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–

अ0सू0सं0–प्र0–I–रा0(आ0)–02/2023–......................./एम0, श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति किशनगंज के द्वारा भागलपुर में पदस्थापन के दौरान पीरपैंती रेलवे स्टेशन से रेलवे के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों यथा–मेसर्स सी0टी0एस0 इण्डस्ट्रीज, मेसर्स शिवाय इंटरप्राईजेज तथा आदित्य ग्लोबल द्वारा कुल 443900.52 टन लघु खनिज पत्थर का बिना परिवहन चालान के अवैध रूप से परिवहन की जाँच नहीं की गई, भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने तथा अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया गया, सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, भागलपुर के पत्रांक 20 दिनांक 15.01.2021 एवं इसके अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा आपसे बिना वैध परिवहन चालान के रेलवे द्वारा पत्थर का अवैध परिवहन किये जाने के संबंध में कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। श्री प्रभाकर का यह कृत्य विभागीय नियमावली का उल्लंघन एवं कार्य के प्रति लापरवाही तथा पदीय दायित्वों का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं किये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2925 दिनांक 21.07.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर–सह–संचालन पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 483 दिनांक 21.10.2024 से जाँच प्रतिवेदन तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 4714 दिनांक 12.11.2024 से कारण पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 808 दिनांक 03.12.2024 से द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

2. श्री प्रभाकर से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रभाकर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में मूल रूप से उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया गया, जो उन्होंने प्रथम कारण पृच्छा में वर्णित किया है। कोई नया तथ्य साक्ष्य के साथ द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित नहीं किया गया है। श्री प्रभाकर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रभाकर के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति किशनगंज को ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक'' की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14(v) के अंतर्गत श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति किशनगंज को **''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक''** की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

कृ0पृ0उ0

3. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–02/2023–......................../एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–02/2023–......................../एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–02/2023–......................../एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, किशनगंज/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–02/2023–......................../एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–उप निदेशक, अंचल कार्यालय, पूर्णियाँ/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, किशनगंज/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–02/2023–......................../एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–02/2023–526/एम0, पटना, दिनांक 29/01/25

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्यमंत्री (खान एवं भूतत्व विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/राजपत्रित स्थापना (मु0)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

28/01/25

सरकार के अपर सचिव

28-1-25